न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 218 सन 2019

अनवान :–

1 सिकन्दर खां पुत्र आमीन खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1 जैतुन पत्नि आमीन खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

2 नूरबानों 3 समीना बानों 4 सलमा 5 सुमन 6 रूबीना पुत्रीया आमीन खा जाति मुसलमान कुम्हार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 16/8/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 8/8 की कुल 1.2650हैक भूमि वादी के पिता आमीन के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । वादी के पिता आमीन पुत्र हबीब खां का देहान्त हो गया है जिसके जायज व कानूनी वारिसान आमीन खां की धर्मपत्नि प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है प्रतिवादीया संख्या 2 ता 6 जो वादी की बहने है अर्थात वादी के पिता आमीन के देहान्त होने पर वाद भूमि के जायज व कानूनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 हुए।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जो वादी की माता/बहने है ने वाद भूमि मे अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कई दफा कहाँ की वादी के हको की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहाँ तो प्रतिवादी कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु बाद में ईन्कार हो गया इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा/परिवारिक समझौता पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिनका देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 , है हम प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जो वादी की माता/बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा/राजीनामा भी पेश किया जा चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षो को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 8/8 की कुल 1.2650हैक भूमि वादी के पिता आमीन के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । वादी के पिता आमीन पुत्र हबीब खां का देहान्त हो गया है जिसके जायज व कानूनी वारिसान आमीन खां की धर्मपत्नि प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की [illegible] है प्रतिवादीया संख्या 2 ता 6 जो वादी की बहने है अर्थात वादी के पिता

Scanned with CamScanner

आमीन के देहान्त होने पर वाद भूमि के जायज व कानूनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 हुए। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जो वादी की माता/बहने है ने वाद भूमि में अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा/राजीनामा पेश किया जा चुका है अब वादी के वाद के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज नही है तथा पेरोकार राज ने भी वादी के वाद का विरोध नही किया गया है ना ही वादी के वाद से राज्यहकों को कोई हानी होती है वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 8/8 की कुल 1.2650हैक भूमि जो वादी के पिता मृतक आमीन के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी का बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वर्तमान में वादी के पिता आमीन के नाम से दर्ज है जो वर्तमान जमाबन्दीयों से साबित है। वादी के पिता वेतराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो मृत्यू/वारिस प्रमाण पत्र से पूर्णत्या साबित है अर्थात आमीन के नाम से दर्ज भूमि के जायज वारिसान वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 , होना साबित है।

वादी के कथन है कि वाद भूमि जो आमीन के नाम से दर्ज है आमीन के देहान्त होने पर उसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 , है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जो वादी की माता/बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उनके पूर्वज आमीन के देहान्त होने के बाद वाद भूमि में उनका जो हक हिस्सा है उसका त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है।एवं पेरोकार राज के द्वारा किसी प्रकार का ऐतराज नही करने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 8/8 की कुल 1.265हैक भूमि जो आमीन के नाम से दर्ज है में मृतक आमीन का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16/8/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. सिकन्दर खां पुत्र आमीन खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. जैतुन पत्नि आमीन खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. नूरबानों 3 समीना बानों 4 सलमा 5. सुमन 6. रूबीना पुत्रीया आमीन खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 218 सन 2019 निर्णय दिनांक– 16/8/2019

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 8/8 की कुल 1.265हैक भूमि जो आमीन के नाम से दर्ज है में मृतक आमीन का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/8/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner